न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 68/2017 एल आर एक्ट (GCMS No 2008/ 00002)
अनवान करनैलसिह वगैरह बनाम (जंगीरसिह फौत) पारो बाई, वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ दिनांक 25.09.02

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
28.03.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को शेष रेस्पोडेंट के निमित सही पता अंकित कर नोटिस पेश करने तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 एवं 10 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची पेश करने हेतु बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आज तारीख पेशी तक शेष रेस्पोडेन्ट के निमित नोटिस तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 एवं 10 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची प्रस्तुत नही किये गये है। पत्रावली वर्ष 2008 से विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट की एवं स्वय अपीलान्ट की बिना किसी आधार के उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	रिकॉर्ड लौटाया 190-192 12.4.23